श्री रौनक गोयल, (भा.व.से.) वनमण्डलाधिकारी मरवाही वनमण्डल पेण्ड्रारोड द्वारा श्री परमेश्वर गुर्जर, सहायक ग्रेड–03 मरवाही वनमण्डल पेण्ड्रारोड के विरूद्ध कार्या. आदेश क्र./स्था./02 दिनांक 03.01.2024 द्वारा संस्थित विभागीय जांच पर कार्यवाही आदेश :–

अध्ययन किया :–

(1) आरोप पत्र क्र./स्था./3237 दिनांक 13.12.23

(2) विभागीय जांच आदेश क्र./स्था./02 दिनांक 03.01.2024

(3) जांचकर्ता अधिकारी एवं उपवनमण्डलाधिकारी गौरेला का पत्र क्र./873 दिनांक 26.06.2024.

(4) अभियोजन पक्ष गवाही एवं बचाव साक्ष्य।

(5) आरोपी कर्मचारी का बचाव उत्तर।

(6) प्रकरण से संबंधित अन्य अभिलेख/जांच प्रतिवेदन/आदेश/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की संक्षेपिका।

(7) दोषारोपण एवं तथ्यों का विवरण जिन पर आरोप आधारित है।

(8) दोषारोपण के संबंध में आरोपी कर्मचारी का अभिकथन।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

श्री परमेश्वर गुर्जर, सहायक ग्रेड –3 द्वारा परमेश्वर गोंड निवासी बगरा दैनिक श्रमिक के उपस्थिति पंजी में फर्जी तरीके से अपना नाम अंकित कर 08 वर्ष की वरीयता के आधार पर नियमितिकरण एवं शैक्षणिक योग्यता की गलत जानकारी देने के संबंध में शिकायतकर्ता श्री एम.एस.बेग, संपादक दैनिक प्रजा शक्ति तालापारा बिलासपुर एवं श्री गौरीशंकर श्रीवास ऋषभ रेसीडेंसी न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर द्वारा की गई शिकायत की जांच हेतु उपवनमण्डलाधिकारी पेण्ड्रा की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई। उपवनमण्डलाधिकारी पेण्ड्रा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार शिकायत में सही पाये जाने पर श्री परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड –3 को छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लघंन करने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत निम्नानुसार आरोप क्र. 01 से अधिरोपित किया गया है :–

आरोप क्र–01 का विस्तृत विवरण :–

श्री परमेश्वर गुर्जर, सहायक ग्रेड–03 द्वारा परमेश्वर गोड निवासी बगरा दैनिक श्रमिक के उपस्थिति पंजी में फर्जी तरीके से अपना नाम अंकित कर 8 वर्ष की वरीयता के आधार पर नियमितिकरण के संबंध में शिकायतकर्ता श्री एम. एस. संपादक दैनिक प्रजा शक्ति तालापारा बिलासपुर एवं श्री गौरीशंकर श्रीवास ऋषभ रेंसीडेंसी न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर द्वारा फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की झूठी जानकारी देकर नौकरी प्राप्त करने की शिकायत की गई जिसके जांच हेतु वनमण्डलाधिकारी मरवाही वनमण्डल पेण्ड्रारोड के आदेश क्र. /स्था./30 दिनांक 24.09.2021 द्वारा उपवनमण्डलाधिकारी पेण्ड्रा की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था। जांच समिति द्वारा कार्या. पत्र/120 दिनांक 13.01.2022 द्वारा श्री परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड–03 को शैक्षणिक योग्यता की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था, किन्तु श्री परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड–03 द्वारा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड–03 शैक्षणिक योग्यता प्रस्तुत नहीं किये जाने पर रजिस्टार गुरुघासीदास विश्वविद्यालय को कार्यालयीन पत्र क्र./स्था./316 दिनांक 27.01.2022 एवं पत्र क्र./स्था./732 दिनांक 11.02.2022 द्वारा शैक्षणिक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया। जिसके तारतम्य में रजिस्टार गुरुघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर को पत्र क्र./732 दिनांक 11.02.2022 एवं पत्र क्र./489 दिनांक 16.02.2022 द्वारा उनके महाविद्यालयीन शिक्षा की तीनों वर्ष (बीए. पाठ्यक्रम) की मार्कशीट (अंकसूची) एवं उसके द्वारा शासकीय डी.बी.एस.पी. महाविद्यालय पेण्ड्रा में सत्र वर्ष 2001 से 2003 के मध्य नियमित (रेगुलर) छात्र के रूप में अध्ययन किया जाना बताया गया है। जांच समिति के प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि श्री परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड–03 वर्ष 1997 के पूर्व दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत नहीं था, वस्तुतः उस अवधि में

वह नियमित छात्र के रूप में वर्ष 2003 तक शालेय/महाविद्यालय पेण्ड्रा में अध्ययनरत् था। इस प्रकार श्री परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड–03 द्वारा परमेश्वर गोंड निवासी बगरा दैनिक श्रमिक के उपस्थिति पंजी में फर्जी तरीके से अपना नाम अंकित कर 08 वर्ष की वरीयता के आधार पर नियमितिकरण कर फर्जी प्रमाण पत्र तथा झूठी जानकारी देकर नौकरी प्राप्त करना शिकायत की जांच में सही पाया गया। जिसके फलस्वरूप श्री परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड –3 को छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लघंन करने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत निम्नानुसार आरोप क्र. 01 से अधिरोपित किया गया है। कार्यालयीन पत्र क्र./स्था./3237 दिनांक 13.12.2023 द्वारा आरोप पत्र जारी किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कार्या. आदेश क्रमांक/स्था./02 दिनांक 03.01.2024 द्वारा विभागीय जांच संस्थित करते हुये उपवनमण्डलाधिकारी गौरेला को जांचकर्ता अधिकारी एवं परिक्षेत्र अधिकारी गौरेला को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया।

जांचकर्ता अधिकारी एवं उपवनमण्डलाधिकारी गौरेला का विवेचना एवं निष्कर्ष :–

श्री परमेश्वर गुर्जर, सहायक ग्रेड–03 मरवाही वनमण्डल पेण्ड्रारोड के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच से संबंधित सुसंगत अभिलेख/दस्तावेज का अवलोकन एवं साक्ष्यों के बयान का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार निम्न तथ्य स्पष्ट होते है :–

आरोप क्र.–01

1. अभियोजन साक्ष्य क्र. 02 से 09 तक के बयान में वर्ष 1997 से 2000 तक की अवधि में श्री परमेश्वर गुर्जर, सहायक ग्रेड –3 के दैनिक श्रमिक होने का अवधि का स्पष्ट प्रमाण परिलक्षित नहीं होता।

2. अभियोजन साक्ष्य क्र. 01 के द्वारा चार सदस्यीय जांच समिति के द्वारा निर्धारित निष्कर्ष के अनुसार श्री परमेश्वर गुर्जर वर्ष 1997 के पूर्व दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत नहीं था। उस अवधि में वर्ष 2003 तक शालेय महाविद्यालय पेण्ड्रा में अध्ययनरत् थे।

3. बचाव साक्ष्य बृजराज सिंह, दिनांक 27.03.2024 में भी वर्ष 1997 से 2000 तक की अवधि के बारे में कुछ स्पष्ट प्रमाण नहीं दे सके।

4 बचाव साक्ष्य श्री परमेश्वर सिंह तंवर, 27.03.2024 के शपथ पत्र दिनांक 07.07.2022 कण्डिका के 01 से 04 तक उल्लेख किया गया है, जिसमें वर्ष 1997 से 2000 की अवधि में दैनिक श्रमिक होने का प्रमाण नहीं दिये।

5. बचाव साक्ष्य स्वयं श्री परमेश्वर गुर्जर दिनांक 18.03.2024 के द्वारा वर्ष 1997 से 2003 की अवधि में शैक्षणिक अध्ययन के साथ–साथ पार्ट टाईम रात्रिकालीन कार्य किया जा रहा था, बताया गया है, जो कि विधिसम्मत नहीं हो सकता। तथा अपने अंतिम बचाव में उनके द्वारा वन विभाग में लगातार 30 वर्षों से कार्यरत् बताया गया है तथा अपनी वर्तमान आयु 43 वर्ष बताया है. जो कि संदेहास्पद है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आरोप क्रंमाक 01 की पुष्टि होती है।

जांचकर्ता अधिकारी का निष्कर्ष :– प्रस्तुत विभागीय जांच की कार्यवाही में अभिकथन/अभियोजन साक्ष्यों का बयान/बचाव साक्ष्य का बयान/पूर्व के जांच प्रतिवेदन/अभिलेखों/दस्तावेज/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की संपेक्षिका तथा आरोपी कर्मचारी के बचाव प्रतिउत्तर का अवलोकन किया गया। अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप की पुष्टि होती है।

अंतिम बचाव उत्तर :–

1. श्री परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड–03 को कार्या. पत्र क्र./5208 दिनांक 01.07.2024 द्वारा अंतिम बचाव उत्तर 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु 16 पृष्ट का दस्तावेज थाना प्रभारी गौरेला के माध्यम से लेख किया गया था जिसका प्रतिवाद उत्तर इनके द्वारा दिनांक 18.07.2024 को प्राप्त हुआ जिसमें विभागीय जांच से संबंधित दस्तावेज उनके पास नहीं होना लेख करते हुये अवधि बढाने हेतु लेख किया गया था, जबकि उन्हे विभागीय जांच से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज संलग्न कर प्रेषित किया गया था।

2. पुनः कार्यालयीन पत्र क्र./5855 दिनांक 01.08.2024 के माध्यम से विभागीय जांच कार्यवाही से संबंधित 16 पृष्ट का दस्तावेज संलग्न कर जेल अधीक्षक जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही के माध्यम से प्रेषित किया गया था एवं 15 दिवस के भीतर बचाव उत्तर प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया जिसका जवाब जेल अधीक्षक जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही द्वारा पत्र क्र./1031/स्थापना/2024 दिनांक 04.09.2024 के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसमें श्री परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड–03 द्वारा 02.08.2024 को पत्र प्राप्त किया गया है। जिसकी पावती अभिस्वीकृति श्री परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड–03 द्वारा जेल अधीक्षक के माध्यम से पत्र कमांक /809/वारंट/2024 दिनांक 02.08.2024 द्वारा दी गई है। अंतिम बचाव उत्तर का अवलोकन करने के पश्चात अमान्य किया गया है एवं आरोप के विरुद्व कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही करने के कारण बचाव उत्तर को सक्षम अधिकारी द्वारा अमान्य किया गया है।

अंतिम निष्कर्ष :– उक्त विभागीय जांच प्रकरण के समस्त तथ्यों/अभिलेखो के अवलोकन/परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि श्री परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड–03 द्वारा परमेश्वर गोंड निवासी बगरा दैनिक श्रमिक के उपस्थिति पंजी में फर्जी तरीके से अपना नाम अंकित कर 08 वर्ष की वरीयता के आधार पर नियमितिकरण कर फर्जी प्रमाण पत्र तथा झूठी जानकारी देकर नौकरी प्राप्त किया गया। अतः उक्त कृत्य के लिये श्री परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड–03 के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ :–

–:: आदेश ::–

आ.क्रं./स्था./132 **पेण्ड्रारोड, दिनांक** 05/09/2024

श्री परमेश्वर गुर्जर, सहायक ग्रेड–03 के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच आदेश क्र./स्था./02 दिनांक 03.01.2024 में श्री परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड–03 द्वारा परमेश्वर गोंड निवासी बगरा दैनिक श्रमिक के उपस्थिति पंजी में फर्जी तरीके से अपना नाम अंकित कर 08 वर्ष की वरीयता के आधार पर नियमितिकरण कर फर्जी प्रमाण पत्र तथा झूठी जानकारी देकर नौकरी प्राप्त करना आरोप सिद्ध होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन किये जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (9) के तहत् दीर्घशास्ति अधिरोपित करते हुए श्री परमेश्वर गुर्जर, सहायक ग्रेड–03 को सेवा से पदच्युत किया जाता है।

रौनक गोयल
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
मरवाही वनमंडल, पेण्ड्रारोड

पृ.क्रं./स्था./6442 **पेण्ड्रारोड, दिनांक** 05/09/2024
प्रतिलिपि :–

1 मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2 उपवनमंडलाधिकारी गौरेला/पेण्ड्रा उपवनमंडल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3 जेल अधीक्षक, जिला–जी.पी.एम.(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। आप श्री परमेश्वर गुर्जर, सहायक ग्रेड–03 को आदेश की एक प्रति सौंपकर दूसरी प्रति में पावती अभिस्वीकृति प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
4 काष्ठागार अधिकारी, मड़ना काष्ठागार की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5 श्री परमेश्वर गुर्जर, सहायक ग्रेड–03 द्वारा जेल अधीक्षक, जिला–जी.पी.एम.(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
मरवाही वनमंडल, पेण्ड्रारोड